

मिसं. 23/20/2013-IT

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

दिनांक 2 अप्रैल 2013

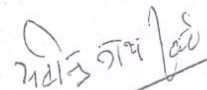
कार्यालय ज्ञापन

विषय :- संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के तहत "SANSADIYA ADHIKARI WELFARE SOCIETY" नाम की अनुमति देना।

अद्योहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 25.02.2013 के पत्र संख्या No. 151/EC/2013-ED के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के तहत "SANSADIYA ADHIKARI WELFARE SOCIETY" नाम का प्रयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. संस्था को उसके मूल नाम के अतिरिक्त अनुवादित नाम के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

इसे सचिव(उ०मा०) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(वाई.एन. खरे)

उप-निदेशक (आई.टी.)

लोक सभा सचिवालय
(श्रीमती वंदना त्रिवेदी, निदेशक)
624 पार्लियामेंट हाउस ऐनेक्सी
नई दिल्ली-110001